राजस्व वाद संख्याः–196 / 2022
रामवतार सिंह बनाम दुलीचन्द वगै0
निर्णय दिनांकः– 02.05.2025

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू**

**पीठासीन अधिकारीः–** श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

**मु0नं0 196 / 2022**

01. रामवतार सिंह पुत्र मातु सिंह, आयु 50 साल, जाति राजपूत, पेशा कृषि, निवासी कासनी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०)।

वादी

बनाम

01. दूलीचन्द पुत्र भान सिंह, आयु 50 साल, जाति राजपूत, पेशा कृषि, निवासी कासनी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)।
02. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चिड़ावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज०)।
03. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०)।

प्रतिवादीगण

**उपस्थितः–** वादीगण अधिवक्ता

**<u>दावा बाबत घोषणार्थ,</u>**

**<u>निर्णय</u>**

वादीगण ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती यह कि यह कि ग्राम कासनी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०) में जमीन हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर बारानी प्रथम स्थित है। जिसे उक्त दावे में वादग्रस्त जमीन कहा गया है।

यह कि वादग्रस्त जमीन का खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द था व काबिज काश्त था। उक्त जमीन में अन्य किसी का सीर साझा नहीं था।

यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 को धरू जरूरत हेतु रूपयों की वैध आवश्यकता होने से उसने वादी से अपनी उक्त जमीन में से 0. 60 हैक्टेयर जमीन को विक्रय करने का प्रस्ताव रखा तो वादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 के प्रस्ताव को स्वीकार कर जमीन कय करने की हां कर दी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को उक्त वादग्रस्त जमीन में से 0.60 हैक्टेयर का सर्वाधिक मूल्य 6,07,000रू– रूपये देने को कहा तो प्रतिवादी नम्बर ने स्वीकार कर लिया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह कि वादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर को सर्वाधिक मूल्य 6,07,000रू– रूपये अंकेही छः लाख सात हजार रूपये में प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 27.05. 2016 को वादी से विकय मूल्य की चूकती रकम नकद हाल चलन मुद्रा में प्राप्त कर उप पंजीयक सूरजगढ़ के समक्ष दिनांक 27.05.2016 को

विक्रय पत्र टाईप करवाकर, गवाहान् महेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी कासनी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०) व मुन्शी सिंह पुत्र मातु सिंह, जाति राजपूत, निवासी कासनी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं, (राज०) के समक्ष विधिवत रूप से पंजीबद्ध करवाकर वादी का कब्जा करवा दिया गया।

इस प्रकार से वादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 14 रकबा 1. 64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार विक्रय पत्र के आधार पर वादी है एवं वादी इसी अनुसार घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि यादी द्वारा उक्त जमीन खसरा नम्बर 14 रकबा 164 हैक्टेयर में से 50 हैक्टेयर का विकत्रयादी के हक में पंजीबद्ध होने के बाद उक्त विक्रय पत्र की नकल वादी ने हत्कालीन हल्का पटवारी को अपने नाम से जमीन दर्ज करवाने के लिए दी थी तथा दादी ने सोचा कि उक्त जमीन का 0.60 हैक्टेयर उसके नाम से दर्ज हो गई तथा वादी बिना किसी बाधा व रुकावट के मौके पर काबिज करत रहा है तथा इस कारण से यादी ने कभी भी उक्त राजस्व रिकार्ड की ओर ध्यान भी नहीं दिया।
यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त जमीन खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर जमीन वादी को विक्रय करने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 केवल 1.04 हैक्टेयर का ही खातेदार रहा। प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा गलत रूप से सम्पूर्ण रकबे पर ऋण प्राप्त कर लिया गया जो ऋण प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में ही समायोजित किया जाना उचित एवं न्यायोचित है तथा वादी के हिस्से 0.60 हैक्टेयर के हिस्से को रहनमुक्त घोषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

यह कि विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2016 के आधार पंर जमीन हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार वादी है तथा 1.04 हैक्टेयर का खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 है। वादी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि दावा हाजा के लिए वाद कारण दिनांक 07.07.2022 को बादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर रिकार्ड में वादी का नाम ना होने व दिनांक 08. 07.2022 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने साथ में चलकर रिकार्ड को दुरुस्त करवाने से इन्कार करने पर न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

ग्राम कासनी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०) की जमीन हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2016 के आधार पर वादी है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द 1.04 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है व इसी घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने की तहरीर जारी कर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जावे कि वह उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर अमल दरामद करे एंव प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त जमीन में प्रतिवादी नम्बर 2 के यहां से लिया गया ऋण प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द के हिस्से में रहे एवं वादी का हिस्सा रहनमुक्त घोषित किया जावे।

खण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

**राजस्व वाद संख्या:-196 / 2022**
**रामवतार सिंह बनाम दुलीचन्द वगै0**
**निर्णय दिनांक:- 02.05.2025**

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दिनांक 21.11.2022 को दर्ज किया गया एवं दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 30.12.2022 नियत की गयी। नियत पेशी दिनांक 28.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 01 की और से इकबालिया जवाब पेश किया गया। दिनांक 06.03.2025 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की और से राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु आज दिनांक 02.05.2025 को पेश हुई । वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन मुताबिक राजीनामा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

**आदेश**

**अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाता है कि** ग्राम कासनी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०) की जमीन हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2016 के आधार पर वादी के हक में तथा प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द 1.04 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है एंव प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त जमीन में लिया गया ऋण प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द के हिस्से में रहने एवं वादी का हिस्सा रहनमुक्त घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–196 / 2022
रामवतार सिंह बनाम दुलीचन्द वगै0
निर्णय दिनांकः– 02.05.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)

मु0नं0 196 / 2022
निर्णय दिनांकः– 02.05.2025

रामवतार सिंह बनाम दुलीचन्द वगै0
दावा बाबत घोषणार्थ,

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 02.05.2025 को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम कासनी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज०) की जमीन हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2016 के आधार पर वादी के हक में तथा प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द 1.04 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है एंव प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त जमीन में लिया गया ऋण प्रतिवादी नम्बर 1 दूलीचन्द के हिस्से में रहने एवं वादी का हिस्सा रहनमुक्त घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़